

वाद संख्या-29/2023
राम सज्जन राय बनाम् विभा देवी।

इस वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक-09.07.2024 को हुई। वाद में वादी का पक्ष वादी श्री राम सज्जन राय एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सिंह द्वारा रखा गया। प्रतिवादी विभा देवी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा उनका पक्ष रखा गया। जिला प्रशासन की तरफ से श्री नवीन कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से अभिलेखों के सत्यापन एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी विभा देवी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-23 से निर्वाचित हुई हैं, जो कि "अनारक्षित अन्य" के रूप में अधिसूचित है। इनके द्वारा नामांकन-पत्र में गलत सूचना अंकित की गई है। इनके द्वारा पति की जाति के अनुसार अपने नामांकन-पत्र में "पिछड़ा वर्ग" अंकित कर दिया गया है, जबकि मूलतः वे "अनुसूचित जाति वर्ग" की सदस्या है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि भूलवश उनके द्वारा अपने जाति को अपने पति की जाति के अनुसार अंकित कर दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से उनकी मुवक्किल निर्वाचित हुई हैं, वह "अनारक्षित अन्य" के रूप में अधिसूचित है, अर्थात् उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ने हेतु स्वतंत्र था। अतः उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुचित लाभ नहीं लिया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक-2673/पं0, दिनांक-31.08.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-23, अनारक्षित (अन्य) कोटि में सूचीबद्ध है।

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-23 पर किसी भी आरक्षण श्रेणी के अथवा अनारक्षित वर्ग के सदस्यों द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 द्वारा निर्धारित अर्हता पुरा करने के उपरांत निर्वाचन में भाग लेने पर कोई रोक नहीं है। इस प्रकार वादी का दावा कि प्रतिवादी द्वारा गलत जाति के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया या इसका लाभ लिया गया, प्रमाणित नहीं

पाया गया। अतः उनके दावें को खारिज करते हुए, वाद को निरस्त किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

01.10.2024

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

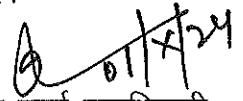
01.10.2024

राज्य निर्वाचन आयुक्त बिहार।

ज्ञापांक-29/2023 3694

पटना, दिनांक-11/10/24

प्रतिलिपि-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई-मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।


विशेष कार्य पदाधिकारी